

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(63)नियम/डीएलबी/2022/ 12250

दिनांक: 11/9/25

अधिसूचना

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 (वर्ष 2003 का अधिनियम संख्याक 1) की धारा 3 की उपधारा (viii) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहता चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर के समस्त परिसरो को जो उनके स्वामित्व मे है, को उक्त अधिनियम के अध्याय 2 व 3 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है।
यह अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(63)नियम/डीएलबी/2022/ 12251-262

दिनांक: 11/9/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर।
5. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. आयुक्त नगर निगम बीकानेर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर।
8. अध्यक्ष सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहता चैरिटेबल ट्रस्ट, मोहता भवन, रतन बिहारी जी पार्क के पास, बीकानेर।
9. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करावें।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Signature valid

Digitally signed by Frank
Chandrashekar Jular
Designation: Director
Date: 2025.09.07 13:01:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17566401
eSign 1.0

